जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा

जिला - महासमुंद (छ.ग.)

(पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाजू, जिला पंचायत रोड, फो.नं. 07723-222291, ई-मेल mis.mahasamund@gmail.com)

ज्ञा.क्र./ 1039/समग्र शिक्षा/ स्थापना/पीएमश्री/2024 महासमुंद दिनांक 18/01/2024

-: अंशकालीन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक का विज्ञापन :-

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/4771/ समग्र शिक्षा/पीएम श्री योजना/2023 रायपुर दिनांक 28/11/2023 के अनुसार "पीएम श्री योजना 2023-24" के अंतर्गत जिले के चयनित विद्यालयों में अंशकालीन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षकों की निर्धारित मानदेय 10,000/- प्रतिमाह की दर से 03 माह हेतु कार्य पर रखा जाना है। जिला महासमुन्द हेतु स्वीकृत पदानुसार रिक्त पद की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	"पीएम श्री योजना 2023-24" के अंतर्गत स्वीकृत शाला की संख्या	अंशकालीन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक के स्वीकृत पदों की संख्या
1	महासमुन्द	8	8

रिक्त पद का आरक्षण विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	प्रति माह मान देय	स्वीकृत पद	अनुसूचित जनजाति			अनुसूचित जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनारक्षित			योग		
				मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग
1	अंशकालीन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक	10,000	8	1	1	2	1	0	1	1	0	1	3	1	4	6	2	8
योग			8	1	1	2	1	0	1	1	0	1	3	1	4	6	2	8

अंशकालीन योगा/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक के चयन हेतु शर्तें एवं दिशा-निर्देश निम्नानुसार है :-

1. अंशकालीन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक के चयन हेतु राज्य कार्यालय, समग्र शिक्षा रायपुर से पूर्व में जारी पत्र क्रमांक/4771/समग्र शिक्षा/पीएम श्री योजना/2023 रायपुर दिनांक- 28.11.2023 की शर्तें एवं निर्देशानुसार चयन किया जाना है।
2. पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों में अंशकालीन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षकों की सेवाएं अंशकालिक के रूप में 03 माह (शैक्षणिक सत्र) के लिए लिया जाना हैं।
3. **अंशकालीन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक हेतु** :- खेल शिक्षक/प्रशिक्षक - स्नातक, शारीरिक शिक्षा डिग्री(B.P.Ed.) एवं योगा की सर्टिफिकेट।
4. अंशकालिन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षकों की सेवाएं 31 मार्च 2024 तक रहेगा।
5. चयनित योगा/खेल शिक्षक/प्रशिक्षकों को एकमुश्त अधिकतम पारिश्रमिक प्रतिमाह 10,000/- दिया जाना है।
6. चयनित शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालयों में बच्चों को योगा/खेलों के प्रति जागरूक कराया जायेगा।

शैक्षणिक अर्हताएं:-

- अंशकालीन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक हेतु :- खेल शिक्षक/प्रशिक्षक - स्नातक, शारीरिक शिक्षा डिग्री (B.P.Ed.) एवं योगा की सर्टिफिकेट ।

एवं शर्तें :–

- उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह (31 मार्च 2023) के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी। और सेवा वगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
- आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
- आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष निर्धारित है, छ.ग. के स्थाई निवासियों के लिये अधिकतम् आयु सीमा 35 वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त शासन के प्रचलित नियमानुसार वर्गवार आयु सीमा में छूट दी जायेगी।
- छत्तीसगढ़ के निवासियों को ही नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- आवेदक को जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र/अंकसूची देना अनिवार्य है।
- चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
- समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा , जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में अंशकालीन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा । इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
- इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानेदय रू. 10,000/ – (अक्षरी दस हजार रु. मात्र) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

आवेदन की प्रक्रिया –

- रिक्त पदों पर भर्ती हेतु योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाईन गूगल–लिंक के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दिनांक 18.01.2024 से 24.01.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- विज्ञापन का अवलोकन एवं ऑनलाईन आवेदन हेतु लिंक जिले के वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पर उपलब्ध है।
- योगा/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक ऑनलाइन आवेदन हेतु गूगल–फॉर्म लिंक :– https://forms.gle/Yggc2xwZXXXs1NNq8
- आवेदन के सभी कॉलम को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भरा जाना है।

आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जावें। कार्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

- ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24.01.2024 समय अपरान्ह 12 बजे तक निर्धारित है।
- खेल शिक्षक/प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम स्नातक, शारीरिक शिक्षा बी.पी.एड. एवं योगा का सर्टिफिकेट।

चयन प्रक्रिया :–

1. अंशकालीन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक हेतु स्नातक का 40 प्रतिशत, शारीरिक शिक्षा डिग्री (बी.पी.एड.) का 40 प्रतिशत, योगा सर्टीफिकेट का 20 प्रतिशत।
2. निर्धारित तिथि 24.01.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त आवेदन की मेरिट सूची तैयार की जायेगी। मेरिट सूची जिले के वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा एवं 1:6 अनुसार अभ्यर्थी आमंत्रित किया जावेगा।
3. दस्तावेजी सत्यापन में सही पाये जाने पर मेरिट के आधार पर, आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुये 08 अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

18.1.2024

जिला मिशन समन्वयक
समग्र शिक्षा
जिला–महासमुन्द (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

E:\Office Files\SAHU SIR WORK\2023-24\योग शिक्षक 2023-24\yoga post letter.docx